कार्यालय छावनी परिषद दगशाई/Office of the Cantonment Board Dagshai
रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार/Ministry of Defence ,Govt. Of India
Office of the Cantonment Board Dagshai, Solan, HP-173210
Email-id: ceodags[hypen]stats[at]nic[dot]in
Website: dagshai.cantt.gov.in, Phone: 01792-266152

रक्षा मंत्रालय
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2024

का.नि.आ. 32 (अ)- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), 1986) 1986 का 29) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की 3 धारा, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का.आ 1357 .(अ), तारीख अप्रैल 8, 2016 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किए।

और जबकि, उक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अन्य बातों के साथसाथ-, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय, बढ़ते शहरी समूहों, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा घोषित जनगणना कस्बों, अधिसूचित क्षेत्रों, अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, भारतीय रेल, हवाई अड्डों, एयरबेस, बंदरगाहों और बंदरगाहों एवं पतनों, रक्षा स्थापनों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राज्य और केन्द्रीय सरकार के संगठनों के नियंत्राधीन क्षेत्रों, तीर्थ स्थलों, धार्मिक और सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और औद्योगिक अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, खतरनाक रसायन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, लैड एसिड बैटरी तथा रेडियो-सक्रिय अपशिष्ट के अतिरिक्त प्रत्येक घरेलू, संस्थागत, वाणिज्यिक और किसी अन्य गैर-आवासीय ठोस अपशिष्ट उत्पाद्य क्षेत्रों पर लागू होंगे, जो उक्त अधिनियम के अधीन अलग से बनाए गए नियमों के अंतर्गत आते है ;

और जबकि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016के नियम 15 का खंड) ई (स्थानीय अधिकारियों को उक्त नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर उपविधि बनाने हेतु बाध्य करता है;

अत: अब, दगशाई छावनी बोर्ड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 के साथ पठित छावनी अधिनियम, 2006) 2006का (41 की धारा 348 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप उपविधियां बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है जो छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 350 की उपधारा (1) की अपेक्षा अनुसार, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित किया गया है और सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप उपविधियों पर उस तारीख से तीस दिन की समाप्ति पश्चात् विचार किया जाएगा जिस दिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएगी ;

इन प्रारूप उपविधियों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य अधिशासी अधिकारी, दगशाई छावनी बोर्ड को प्रेषित किए जा सकते हैं।

उक्त प्रारूप उपविधियों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

नोटिस न० सीवीडी/8/10/एस डब्लू एम/-653
दिनांक 29-07-2024

प्रिया

प्रिया रानी, भा.र.सं.से.
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद दगशाई

कार्यालय छावनी परिषद दगशाई/Office of the Cantonment Board Dagshai
रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार/Ministry of Defence ,Govt. Of India
Office of the Cantonment Board Dagshai, Solan, HP-173210
Email-id: ceodags[hypen]stats[at]nic[dot]in
Website: dagshai.cantt.gov.in, Phone: 01792-266152

MINISTRY OF DEFENCE
PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 23rd July, 2024

S.R.O. 32(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sections 3,6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter referred to as the said Act), the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in the Government of India vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016, notified the Solid Waste Management Rules, 2016;

And, whereas, the said Solid Waste Management Rules, 2016, inter alia, shall be applicable to every urban local body, outgrowths in urban agglomerations, census towns as declared by the Registrar General and Census Commissioner of India, notified areas, notified industrial townships, areas under the control of Indian Railways, airports, airbases, Ports and harbours, defence establishments, special economic zones, State and Central Government organisations, places of pilgrims, religious and historical importance as may be notified by respective State Government from time to time and to every domestic, institutional, commercial and any other non-residential solid waste generator situated in the areas except industrial waste, hazardous waste, hazardous chemicals, bio medical wastes, e-waste, lead acid batteries and radio-active waste, that are covered under separate rules framed under the said Act;

And, whereas, clause (e) of rule 15 of the Solid Waste Management Rules, 2016, duty bounds the local authorities to frame bye-laws within one year from the date of notification of the said rules;

Now, therefore, the following draft bye-laws, which the Dagshai Cantonment Board proposes to make in exercise of the powers conferred by section 348 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) read with rule 15 of the Solid Waste Management Rules, 2016, is hereby published, as required by sub-section (1) of section 350 of the Cantonments Act, 2006, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft bye -laws shall be taken into consideration by the Central Government after the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the notification is published, are made available to the public;

The objections or suggestions, if any, to these draft bye-laws may be addressed to the Chief Executive Officer, Dagshai Cantonment Board;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws, before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

Notice No. CBD/8/10/SWM/-654
Dated:- 29-07-2024

Priya Rani, IDES
Chief Executive Officer
Dagshai Cantonment Board